कार्यादेश

प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

सेवा में,

मै0 आशीष इण्टरप्राइजेज,
निवासी– स्टेशन रोड़,
पारीछा, झाँसी।

पत्रांक 1930 / जे0डी0ए0 / (2018–19) दिनांक 24 दिसम्बर, 2018

विषयः–प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम करारी में 756 (ई.डब्ल्यू.एस.) भवनों का निर्माण कार्य।

आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत ग्राम करारी में 756 ई.डब्ल्यू.एस. भवनों का निर्माण का कार्य के सम्पादन हेतु रू0 33,23,01,380.26 (रूपये तैतीस करोड़ तेईस लाख एक हजार तीन सौ अस्सी पैसा छब्बीस मात्र) के स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी हैं। जमानत राशि दिनांक 22.11.2018, भारतीय स्टेट बैंक, झाँसी एफ.डी.आर. सं0 38084351766 रू0 67,97,400.00 (सड़सठ लाख सन्तानवे हजार चार सौ रूपये मात्र) की है। इस हेतु वांछित स्टाम्प निम्नानुसार जमा कर अनुबन्ध पूर्ण करवानें का कष्ट करें। कार्य प्रारम्भ की तिथि **26.12.2018** तथा कार्य समाप्ति की तिथि **25.06.2019** (06 माह) समझी जायें। तदानुसार श्रम विभाग में भी अपना पंजीकरण कराकर प्रमाण–पत्र दाखिल करना होगा तथा अनुबन्ध कराते समय परफार्मेन्स गारण्टी रू0– 448610.00 (चार लाख अड़तालीस हजार छः सौ दस मात्र) की जमा करने के पश्चात अनुबन्ध किया जायेगा।

1. जमानत धनराशि नगद जमा / एफ0डी0आर0 के माध्यम से जमा करने पर जमानत धनराशि पर रूपये 70 / – प्रति हजार की दर से स्टाम्प जमा करना होगा अथवा बिल से कटौती पर रूपये 140 / –की दर पर स्टाम्प जमा करना होगा।

अथवा

2. शासनादेश संख्या–सं0वि0का0नि0–5–1712 / ग्यारह–2006–500(डब्लू–29) / 2005 दिनांक 02 मई, 2006 के अनुक्रम में रू0–100.00 का स्टाम्प जमा करना होगा।

अधिशासी अभियन्ता
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

प्रतिलिपिः–

1.– सचिव महोदय झा0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।
2.– श्री सहायक नगर नियोजक झा0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।
3.– श्री जय शंकर सिंह अवर अभियन्ता (सिविल) को अनुपालनार्थ।
4.– कार्यालय प्रति।

अधिशासी अभियन्ता
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी।

76-s.k